प्रेस विज्ञप्ति
29/11/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोझीकोड उप-आंचलिक कार्यालय ने कन्नूर अर्बन निधि (केयूएन) में हुई धोखाधड़ी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के संबंध में 27.11.2024 को एंटनी सनी, शौकथली एमएम और गफूर केएम को गिरफ्तार किया है।

जांच के दौरान, यह पता चला है कि एंटनी सनी, शौकथली एमएम और गफूर के एम मैसर्स कुन के प्रमोटर थे। कंपनी ने कन्नूर और पड़ोसी जिलों में जमा पर 12% से 12.5% ब्याज की पेशकश के साथ विभिन्न जमा योजनाओं का प्रचार किया। आरोपी व्यक्तियों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विभिन्न निवेशकों को अधिक रिटर्न देने के बहाने धोखा दिया, जिससे लगभग 40 करोड़ रुपये का गबन हुआ, जिसे जांच के दौरान अपराध की आय (पीओसी) के रूप में पहचाना गया है। इस मामले में आरोपियों ने निवेशकों को ठगने के इरादे से केयूएन के माध्यम से अपने निजी इस्तेमाल के लिए धन एकत्र किया। केयूएन में निवेशकों से एकत्र किए गए धन का उपयोग मैसर्स एनीटाइम मनी प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना और संचालन के लिए किया गया था। कुन में निधि कंपनी की गाइडलाइन का जानबूझकर पालन नहीं किया गया। कुन कंपनी को दूसरी कंपनी की स्थापना के लिए निधियों की आसान पहुंच के लिए निगमित किया गया था क्योंकि आरोपी व्यक्ति बैंक से ऋण प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसके अलावा, एंटनी सनी, शौकथली एमएम, गफूर केएम और एंटनी सनी और गफूर केएम से जुड़ी फर्मों/कंपनियों के व्यक्तिगत बैंक खातों में भी धन हस्तांतरित किया गया था, जहां से धन का उपयोग उनके व्यक्तिगत/व्यावसायिक खर्चों, ऋण किस्तों के भुगतान आदि के लिए किया गया था।

इस मामले में, पहले आरोपी व्यक्तियों के आवासों और कार्यालय परिसरों में तलाशी ली गई थी, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे और बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था।

पीओसी को प्राप्त करने, रखने और गबन करने से एंटनी सनी, शौकथली एम एम और गफूर के एम ने पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है, जो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है, उन्हें 27.11.2024 को गिरफ्तार किया गया है।

आगे की जांच जारी है।